(6)

क्रम-संख्या —64

रजि० नं० एल. डब्लू. /एन. पी. 890
लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०–41
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 19 मार्च, 2003

फाल्गुन 28, 1924 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 366/सात–वि–1—1(क) 34-2002

लखनऊ, 19 मार्च, 2003

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2003 पर दिनांक 12 मार्च, 2003 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 2003 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2003

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4, सन् 2003)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2003 कहा जायगा।

(2) यह 2 नवम्बर, 2002 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 1997 की तृतीय अनुसूची में संशोधन

2—उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, तृतीय अनुसूची में, भाग (क) में,—

(क) शीर्षक शब्द में "पर्वतीय मार्गों और मैदानी मार्गों पर संचालित" के स्थान पर शब्द "उत्तर प्रदेश के भीतर अधिकारितायुक्त प्राधिकारियों द्वारा स्वीकृत परमिटों के अधीन चलाये जाने वाले" रख दिये जायेंगे।

(ख) सारिणी में,—

(अ) अनुच्छेद एक और उसके सम्मुख की गयी प्रविष्टियाँ निकाल दी जायेंगी;

(ब) अनुच्छेद दो में, —

(एक) स्तम्भ 2 में दिये गये शब्द "मैदानी मार्ग" निकाल दिये जायेंगे;

(दो) क्रम संख्या (एक) के सम्मुख स्तम्भ 3 में दिये गये अंक "85.00" के स्थान पर अंक "100.00" रख दिये जायेंगे;

(तीन) क्रम संख्या (दो) के सम्मुख स्तम्भ 3 में दिये गये अंक "110.00" के स्थान पर अंक "130.00" रख दिये जायेंगे;

(ग) स्पष्टीकरण निकाल दिये जायेंगे।

चतुर्थ अनुसूची में संशोधन

3—मूल अधिनियम की चतुर्थ अनुसूची में,—

(क) अनुच्छेद एक में, खण्ड (क) में,—

(एक) क्रम संख्या 1, 2 और 3 और उनके सम्मुख दी गयी प्रविष्टियों को निकाल दिया जायेगा;

(दो) क्रम संख्या 4 के सम्मुख स्तम्भ 2 में दिये गये शब्द और अंक "7200 से अधिक किन्तु 9000 से अनधिक" के स्थान पर शब्द और अंक "9000 तक" रख दिये जायेंगे;

(ख) अनुच्छेद दो निकाल दिया जायेगा;

(ग) अनुच्छेद चार में, खण्ड (क) में,—

(एक) क्रम संख्या 1, 2 और 3 और उनके सम्मुख दी गयी प्रविष्टियों को निकाल दिया जायेगा;

(दो) क्रम संख्या 4 के सम्मुख स्तम्भ 2 में दिये गये शब्द और अंक "7200 से अधिक किन्तु 9000 से अनधिक" के स्थान पर शब्द और अंक "9000 तक" रख दिये जायेंगे;

(घ) अनुच्छेद पांच में खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

"(ख) उत्तर प्रदेश के बाहर अधिकारिता रखने वाले प्राधिकरणों द्वारा मोटर वेहिकिल्स (आल इण्डिया परमिट फार टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट आपरेटर्स) रूल्स, 1993 के साथ पठित मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उपधारा (9) के अधीन जारी किये गये परमिट के अन्तर्गत :–

उत्तर प्रदेश में संचालन के दिन	प्रत्येक सीट के लिये अतिरिक्त कर की दर (रुपये में)
(एक) 3 दिन तक	100.00
(दो) 3 दिन से अधिक किन्तु 15 दिन से अनधिक	300.00
(तीन) 15 दिन से अधिक किन्तु 30 दिन से अनधिक	500.00
(चार) 30 दिन से अधिक	500.00 और 30 दिन से अधिक दिनों के लिये यथास्थिति क्रम संख्या (एक), (दो) अथवा (तीन) के सम्मुख विनिर्दिष्ट दर पर आगणित अतिरिक्त कर।"

(ङ) स्पष्टीकरण (9) निकाल दिया जायेगा।

4—मूल अधिनियम की छठी अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रख दी जायेगी, अर्थात् :— छठी अनुसूची का संशोधन

"छठी अनुसूची

(धारा 10 देखिये)

ऐसे प्राधिकारी द्वारा जिसकी अधिकारिता उत्तर प्रदेश के बाहर हो, दिये गये अस्थायी परमिट के अधीन उत्तर प्रदेश में चलायी जाने वाली परिवहन यान द्वारा धारा 10 के अधीन देय अतिरिक्त कर की दरें :—

एक—माल वाहन	उत्तर प्रदेश में संचालन के दिनों के लिये प्रतिदिन 50.00 रुपया।
दो—लोक सेवायान	
उत्तर प्रदेश में संचालन के दिनों की संख्या	प्रत्येक सीट के लिये अतिरिक्त कर की दर (रुपये में)
(क) साधारण लोक सेवायान	
(एक) 7 दिन तक	150.00
(दो) 7 दिन से अधिक किन्तु 30 दिन से अनधिक	400.00
(तीन) 30 दिन से अधिक	400.00 और 30 दिन से अधिक दिनों के लिये यथास्थिति क्रम संख्या (एक) अथवा (दो) के सम्मुख विनिर्दिष्ट दर पर आगणित अतिरिक्त कर।
(ख) डीलक्स या सेमी डीलक्स या वातानुकूलित लोक सेवायान	
(एक) 7 दिन तक	200.00
(दो) 7 दिन से अधिक किन्तु 30 दिन से अनधिक	600.00
(तीन) 30 दिन से अधिक	600.00 और 30 दिन से अधिक दिनों के लिये यथास्थिति क्रम संख्या (एक) अथवा (दो) के सम्मुख विनिर्दिष्ट दर पर आगणित अतिरिक्त कर।"

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 19 सन् 2002

5—(1) उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 2002 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। निरसन और अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों यह अधिनियम सभी सारवान समय पर प्रवृत्त था।

उद्देश्य और कारण

राज्य में मोटरयानों पर कर और किराये के लिए यात्रियों और माल के परिवहन में लगे हुए मोटरयानों पर अतिरिक्त कर अधिरोपित करने की व्यवस्था करने के लिए उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 अधिनियमित किया गया है।

राज्य के राजस्व में वृद्धि करने, करापवंचन को रोकने और उत्तरांचल राज्य के सृजन के कारण पर्वतीय क्षेत्रों के सम्बन्ध में कतिपय उपबंधों का लोप करने की दृष्टि से निम्नलिखित व्यवस्था करने के लिए उक्त अधिनियम का संशोधन करने का विनिश्चय किया गया,—

(क) उत्तर प्रदेश में संचालित माल वाहनों के सम्बन्ध में पर्वतीय क्षेत्रों से सम्बन्धित उपबंधों को निकाला जाना और अतिरिक्त करों की दरों में पन्द्रह प्रतिशत की वृद्धि किया जाना;

(ख) राज्य में संचालित होने वाली मंजिली गाड़ी के सम्बन्ध में एक त्रैमास में कराधान के प्रयोजनों के लिए तय की गई न्यूनतम दूरी 4500 किलोमीटर के स्थान पर 9000 किलोमीटर किया जाना;

(ग) उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर अधिकारिता रखने वाले प्राधिकरणों द्वारा मोटर वेहिकिल्स (आल इण्डिया परमिट फार टूरिस्ट ट्रान्सपोर्ट आपरेटर्स) रूल्स, 1993 के साथ पठित मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उपधारा (9) के अधीन जारी किये गये परमिट के अन्तर्गत आने वाली ठेका गाड़ी के सम्बन्ध में त्रैमासिक आधार के स्थान पर, बैठने की क्षमता और संचालन के दिनों के आधार पर अतिरिक्त कर का अधिरोपण किया जाना;

(घ) अधिकारिता रखने वाले प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत अस्थाई परमिट के अधीन उत्तर प्रदेश में चलाए जाने वाले परिवहन यान के सम्बन्ध में अतिरिक्त कर का अधिरोपण उत्तर प्रदेश में उनके संचालन के दिनों के स्थान पर बैठने की क्षमता और उत्तर प्रदेश में उनकी संचालन अवधि के आधार पर किया जाना।

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतएव राज्यपाल द्वारा दिनांक 2 नवम्बर, 2002 को उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 2002 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 19 सन् 2002) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,

आर० बी० राव,

सचिव।

No. 366(2)/VII-V-1-1(KA)34-2002

Dated Lucknow, March 19, 2003

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Motor Yan Karadhan (Sanshodhan) Adhiniyam, 2003 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 4 of 2003) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 12, 2003.

THE UTTAR PRADESH MOTOR VEHICLES TAXATION (AMENDMENT) ACT, 2003

(U.P. ACT NO. 4 OF 2003)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1997.

IT IS HEREBY inacted in the Fifty-fourth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation (Amendment) Act, 2003.

(2) It shall be deemed to have come into force on November 2, 2002.

Amendment of the Third Schedule of U.P. Act no. 21 of 1997

2. In the Third Schedule to the Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation 1997, hereinafter referred to as the principal Act, in Part (A):

(A) in the heading *for* the words "operating on hill routes and plain routes" the words "operating under permits granted by authorities having jurisdiction within Uttar Pradesh" shall be *substituted.*

(B) in the table,—

(a) Article I and entries appearing against it shall be *omitted.*

(b) in Article II,—

(i) the words "Plains routes" appearing in column 2 shall be *omitted;*

(ii) for figure "85.00" appearing in column 3 against serial number *(i)*, the figure "100.00" shall be *substituted;*

(iii) for figure "110.00" appearing in column 3 against serial (ii), the figure "130.00" shall be *substituted;*

(C) the Explanations shall be *omitted.*

Amendment of the Fourth Schedule

3. In the Fourth Schedule to the principal Act:—

(a) in Article I, in clause *(a)*,—

(i) serial numbers 1, 2 and 3 and entries appearing against them shall be *omitted;*

(ii) for words and figure "exceeding 7200 but not exceeding 9000" appearing in column 2 against serial number 4, the word and figure "up to 9000" shall be *substituted.*

(b) Article II shall be *omitted;*

(c) in Article IV, in clause *(a)*,—

(i) serial numbers 1,2, and 3 and entries appearing against them shall be *omitted;*

(ii) for words and figures "exceeding 7200 but not exceeding 9000" appearing in column 2 against serial number 4, the word and figure "up to 9000" shall be *substituted;*

(d) in Article V, *for* clause *(b)*, the following clause shall be *substituted,* namely:—

"*(b)* Covered by permits under sub-section (9) of section 88 of the Motor Vehicles Act, 1988, read with Motor Vehicles (All India Permits for Tourist Transport Operators) Rules, 1993, issued by authorities having jurisdiction outside the State of Uttar Pradesh:—

	Days of operation in Uttar Pradesh	**Rate of Additional tax for each seat (in rupees)**
(i)	Up to three days	100.00
(ii)	Exceeding 3 days but not exceeding 15 days	300.00

Days of operation in Uttar Pradesh		Rate of Additional tax for each seat (in rupees)
(iii)	Exceeding 15 days but not exceeding 30 days	500.00
(iv)	Exceeding 30 days	500.00 *plus* additional tax calculated at the rates specified against serial numbers (*i*), (*ii*) or (*iii*) as the case may be, for the days exceeding 30 days."

(*e*) Explanation (9) shall be *omitted*.

Amendment of the Sixth Schedule

4. *For* Sixth Schedule to the principal Act, the following Schedule shall be *substituted*, namely:—

"SIXTH SCHEDULE

(*See* section 10)

The rates of Additional Tax payable under section 10 by transport vehicles plying in Uttar Pradesh under a temporary permit granted by an authority having jurisdiction outside Uttar Pradesh.

I. Goods Carriages	Rs. 50.00 per day for the number of days of operation in Uttar Pradesh.
II. Public Service Vehicles :—	
Days of operation in Uttar Pradesh	**Rate of Additional Tax per seat (in rupees)**
(*a*) Ordinary Public Service Vehicle—	
(*i*) Up to 7 days	150.00
(*ii*) Exceeding 7 days but not exceeding 30 days	400.00
(*iii*) Exceeding 30 days	400.00 *plus* additional tax calculated at the rates specified against serial numbers (*i*) or (*ii*). as the case may be, for the days exceeding 30 days.
(*b*) Delux or Semi Delux or Air-conditioned Public Service Vehicles—	
(*i*) Up to 7 days	200.00
(*ii*) Exceeding 7 days but not exceeding 30 days	600.00
(*iii*) Exceeding 30 days	600.00 *plus* additional tax calculated at the rates specified against serial numbers (*i*) or (*ii*), as the case may be, for the days exceeding 30 days.".

पी०

पी०

U.P. Ordinance no. 19 of 2002

Repeal and Savings

5. (1) The Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation (Amendment) Ordinance, 2002 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Motor Vehicle Taxation Act, 1997 has been enacted to provide for the imposition of tax in the State on motor vehicles and additional tax on motor vehicles engaged in the transport of passengers and goods for hire.

With a view to augmenting revenue of the State preventing the evasion of tax and omitting certain provisions regarding hill areas due to creation of Uttaranchal State, it was decided to amend the said Act to provide for,—

(a) omitting the provisions regarding hill areas with respect to the goods carriages operating in Uttar Pradesh and to enhance the rates of additional taxes by fifteen per cent;

(b) making 9000 Kms. instead of 4500 Kms. as the minimum distance run in a quarter in respect of Stage carriage operating in the State for the purpose of taxation;

(c) imposition of additional tax on the basis of seating capacity and days of operation instead of quarterly basis in respect of contract carriage covered by permits under sub-section (9) of the section 88 of the Motor Vehicles Act, 1988 *read* with Motor Vehicles (All India Permits for Tourist Transport Operators) Rules, 1993 issued by authorises having jurisdiction outside the state of Uttar Pradesh;

(d) imposition of additional tax with respect to transport vehicle plying in Uttar Pradesh under a temporary permits granted by an authority having jurisdiction on the basis of seating capacity and period of their operation in Uttar Pradesh instead of days of their opeation in Uttar Pradesh.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision the Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation (Amendment) Ordinance, 2002 (U.P. Ordinance No. 19 of 2002) was promulgated by the Governor on November 3, 2002.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
R.B. RAO,
Sachiv.

पी० एस० यू० पी०–ए० पी० 1085 राजपत्र (हि०)—2003—(2533)—597 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।
पी० एस० यू० पी०–ए० पी० 266 सा० विधा०—19-3-2003—(2534)—850 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।